(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला
सांतपुर तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 60 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.11.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 28.08.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट के कार्यालय द्वारा ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा शांतिवन परिसर, आनन्द सरोवर, मानसरोवर परिसर, मनमोहिनी कॉम्पलेक्स एवं तपोवन की कृषि भूमि में निर्माण किए गए बहुमंजिला भवनों की निर्माण स्वीकृति जारी की गई, उन निर्माण स्वीकृतियों की प्रमाणित प्रति एवं उन बहुमंजिला भवनों के निर्माण कार्य को रूकवाने हेतु जारी किए गए नोटिसों एवं आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति एवं ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा गांव उमरणी के खसरा संख्या 439 व 424 की भूमि पर सोलर प्लांट का निर्माण किया गया, जबकि उक्त खसरों के मध्य में खसरा संख्या 436 गै.मु.रास्ता स्थित था, जिसे संस्थान द्वारा बन्द कर दिया गया है, उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं गै.मु.नदी से 100 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होने के बाद भी संस्थान द्वारा निर्माण किया गया है, इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/— जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 28.08.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट के कार्यालय द्वारा ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा शांतिवन परिसर, आनन्द सरोवर, मानसरोवर परिसर, मनमोहिनी कॉम्पलेक्स एवं तपोवन की कृषि भूमि में निर्माण किए गए बहुमंजिला भवनों की निर्माण स्वीकृति जारी की गई, उन निर्माण स्वीकृतियों की प्रमाणित प्रति एवं उन बहुमंजिला भवनों के निर्माण कार्य को रूकवाने हेतु जारी किए गए नोटिसों एवं आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति एवं ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा गांव उमरणी के खसरा संख्या 439 व 424 की भूमि पर सोलर प्लांट का निर्माण किया गया, जबकि उक्त खसरों के मध्य में खसरा संख्या 436 गै.मु.रास्ता स्थित था, जिसे संस्थान द्वारा बन्द कर दिया गया है, उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं गै.मु.नदी से 100 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होने के बाद भी संस्थान द्वारा निर्माण किया गया है, इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर—ए—इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	